

न्यायालय अति. कलक्टर एवं अति जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी -- नरेश बुनकर, RAS

अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 08/2019

Rcms reg. No. 2018/00032

प्रार्थी :-

अप्रार्थी :-

पुलिस अधीक्षक,
बांसवाड़ा

बनाम

श्री मोहन पिता श्री कुबेर यादव निवासी वृंदावन टॉकिज के
पीछे, बांसवाड़ा पुलिस थाना कोतवाली बांसवाड़ा

निर्णय

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

दिनांक :- 30-12-2019

1. पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा द्वारा गैरसायल श्री मोहन पिता श्री कुबेर यादव निवासी वृंदावन टॉकिज के पीछे, बांसवाड़ा पुलिस थाना कोतवाली बांसवाड़ा के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत एक इस्तगासा प्रस्तुत कर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 03 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जावे।


2. पुलिस अधीक्षक, जिला बांसवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार निम्नांकित आधारों पर गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है :-

प्रथम सूचना क्रमांक 9/13 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ पुलिस थाना कोतवाली बांसवाड़ा में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री मोहन के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, बांसवाड़ा द्वारा दिनांक 30-01-2013 को जरिये फौजदारी प्रकरण संख्या 93/13 से 100/- रूपया जुर्माने से दण्डित किया गया।

2. प्रथम सूचना क्रमांक 135/17 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ पुलिस थाना कोतवाली बांसवाड़ा में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री मोहन के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से एजेएम न्यायालय, बांसवाड़ा द्वारा दिनांक 07-07-2017 को जरिये फौजदारी प्रकरण संख्या 1379/17 से 100/- रूपया अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

3. प्रथम सूचना क्रमांक 204/18 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ पुलिस थाना कोतवाली बांसवाड़ा में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री मोहन के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से एजेएम न्यायालय, बांसवाड़ा द्वारा दिनांक 18-05-2018 को जरिये फौजदारी प्रकरण संख्या 892/18 से 100/- रूपया अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

4. प्रथम सूचना क्रमांक 292/18 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ पुलिस थाना कोतवाली बांसवाड़ा में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री मोहन के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से एजेएम न्यायालय, बांसवाड़ा द्वारा दिनांक 09-07-2018 को जरिये फौजदारी प्रकरण संख्या 1179/18 से 100/- रूपया अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

5. प्रथम सूचना क्रमांक 143/19 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ पुलिस थाना कोतवाली बांसवाड़ा में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री मोहन के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से एजेएम न्यायालय, बांसवाड़ा में प्रकरण विचाराधीन है।
6. इस प्रकार गैरसायल श्री मोहन पिता श्री कुबेर यादव निवासी वृंदावन टॉकिज के पीछे, बांसवाड़ा पुलिस थाना कोतवाली बांसवाड़ा जो जुआ सट्टा का कारोबार करते हुए पकड़े जाने पर राजस्थान जुआ अध्यादेश 1949 के तहत 5 प्रकरण दर्ज होकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद ट्रायल 4 प्रकरणों में दोष सिद्ध ठहराया जाकर चार बार जुर्माने से दण्डित हुआ है एवं 1 प्रकरण न्यायालय में लम्बित है, फिर भी इसकी आदत में कोई सुधार नहीं हुआ है। अतः गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत कार्यवाही करने निवेदन किया।

3. इस्तगासा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये समन तलब किया गया।
4. गैरसायल की ओर से अभिभाषक श्री मो.शमीम खान द्वारा वकील पत्र प्रस्तुत किया गया। दिनांक 18-11-2019 को जवाब प्रस्तुत किया गया कि :-
 1. सभी मामले लोक अदालत की भावना से न्यायालय द्वारा निर्णित हुए हैं।
 2. गैरसायल के खिलाफ इन मामलों के बाद किसी भी सांसद, विधायक या किसी प्रकार के कोई लोक प्रतिनिधि ने कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई है।
 3. गैरसायल के विरुद्ध आरोपों को निरस्त किया जाकर उक्त प्रकरण फैसल शुमार किये जाने निवेदन किया है।

5- दिनांक 16-12-2019 को प्रकरण में गैरसायल की ओर से विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गैरसायल घरों में कलर का कार्य करके अपना व परिवार का पोषण करता है। उक्त सभी मुकद्दमें 13 आरपीजीओ में दर्ज हुए हैं, कोई भी मुकद्दमा भारतीय दण्ड संहिता की धारा में दर्ज नहीं हुआ है। सभी प्रकरण लोक अदालत की भावना से न्यायालय द्वारा निर्णित हुए हैं। अतः गैरसायल के विरुद्ध आरोप निरस्त किए जाकर प्रकरण फैसल शुमार करने निवेदन किया।

6- हमने पत्रावली तथा उसमें संलग्न अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। गैर सायल के विरुद्ध जो जुआ सट्टा का कारोबार करते हुए पकड़े जाने पर राजस्थान जुआ अध्यादेश 1949 के तहत 5 प्रकरण दर्ज होकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद ट्रायल 4 प्रकरणों में दोषसिद्ध ठहराया जाकर चार बार जुर्माने से दण्डित हुआ है एवं 1 प्रकरण न्यायालय में लम्बित है, फिर भी इसकी आदत में कोई सुधार नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत समुचित अभिलेखीय साक्ष्य से आरोप स्पष्ट रूप प्रमाणित होता है।

(नरेश बुनकर)


अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा


आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत गैरसायल श्री मोहन पिता श्री कुबेर यादव निवासी वृंदावन टॉकिज के पीछे, बांसवाड़ा पुलिस थाना कोतवाली बांसवाड़ा को तहसील क्षेत्र बांसवाड़ा से 15 दिन के लिये निष्कासित किया जाता है। गैर सायल उक्त 15 दिन की अवधि में बांसवाड़ा तहसील क्षेत्र में विचरण नहीं करेगा एवं न ही पुनः प्रवेश करेगा। इस अवधि में गैरसायल तहसील क्षेत्र, आबापुरा में निवास करेगा एवं थानाधिकारी आबापुरा को अपनी उपस्थिति नियमित रूप से दर्ज कराये। निर्णय की प्रति पालना हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा को भेजी जावे। यह आदेश दिनांक 30-12-2019 से प्रभावी होगा। यदि गैरसायल के विरुद्ध

कोई प्रकरण तहसील क्षेत्र, बांसवाड़ा में स्थित किसी माजनीय न्यायालय में चल रहा हो तो वह नियत पेशी पर उपस्थित हो सकेगा, परन्तु इसके पूर्व गैर सायल को इस न्यायालय एवं संबधित थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देनी होगी। न्यायालय में पेशी होने के तुरन्त पश्चात् इस न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जावेगा।

निर्णय आज दिनांक 30-12-2019 को खुले न्यायालय में सुनया गया पत्रावली फौसलशुमार होकर दाखिले दफ्तर हो।




(नरेश कुमार)

अति. कलक्टर (अति. कलक्टर) मजिस्ट्रेट,
अति. कलक्टर, बांसवाड़ा

